**4. परिवाद के प्ररुप**

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निराकरण आयोग नयी दिल्ली

उपभोक्ता परिवाद सं. . ...................... सन् ..............................................

**अबक** (वर्णन एवम निवास स्थान को जोड़े) ........................ परिवादी / परिवादीगण

बनाम

**कखग** (वर्णन एवम् निवास स्थान को जोड़ें) ......................... विरोधी पक्षकार/विरोधी पक्षकारगण

सेवा में,

राष्ट्रीय आयोग के आदरणीय अध्यक्ष तथा उसके साथी सदस्यगण;

श्रीमानजी,

ऊपर नामित किया गया परिवादी / परिवादीगण निम्नलिखित रूप में अति सादर पूर्वव निवेदन करता है/करते हैं –

1. परिवाद विशिष्टियाँ, स्थान, तारीख इत्यादि से सम्बन्धित सभी तथ्यों का विवरण दिया जाना है।
2. उस स्थान पर वाद हेतुक से सम्बन्धित ब्यौरा जहाँ परिवाद दाखिल किया जा रहा है।
3. अधिकारिता एवम् माल / सेवाओं का मूल्य तथा प्रतिकर दावा से सम्बन्धित ब्यौरे दिये जाने है। (माल/सेवाओं तथा दावाकृत प्रतिकर का मूल्य 20 लाख रुपये से अधिक होता है।
4. दावाकृत होने वाले अनुतोष/अनुतोषों के ब्यौरे सहित प्रार्थना खण्ड का कथन किया जाना है।

स्थान :

तारीख :

परिवादी/परिवादीगण

व्यक्तिगत तौर पर या जरिये अधिवक्ता

वर्णित परिवाद की अन्तर्वस्तु वर्णित

सत्यापन

मैं/हम ...................................... (परिवादी / परिवादीगण) पुत्र / पुत्रगण ....................निवासी .. ..................... एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से घोषणा एवम् कथन करता हूँ / करते हैं कि ऊपर रिवाद की अन्तर्वस्तुएं / विशिष्टिया सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास में सत्य है। उसमें कोई भी बात मिथ्या नहीं है और न ही उसमें कोई भी बात गलत वर्णित/छिपायी गयी है।

..................... में इस तारीख ....................को सत्यापित किया।

शपथकर्ता

उपबन्ध